उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-57/2019/680/92-2-19-49एम/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 22 मार्च 2019

कार्यालय-ज्ञाप

वर्ष 2009-10 में जनपद आजमगढ में 124 डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड/ के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु दिनांक 19-08-2009 को आमंत्रित की गयी निविदाओं में मॉडल बिड डाक्यूमेन्ट की शर्त संख्या-4 एवं निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तो एवं नियमों के अनुसार अनुबंध गठित न किये जाने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आजमगढ सम्प्रति सम्बद्ध कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से शासन के पत्र सं0-2871/92-2-18-49एम/2018 दिनांक 05-11-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो उनके पत्र दिनांक 09-01-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री वी0के0 सिंह गौर से मांगे गये स्पष्टीकरण, उनके बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित अनियमितता हेतु पूर्व में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-11-2011 द्वारा श्री वी0के0 सिंह गौर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत ओरोप पत्र देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने, जिसे कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-11-2012 को बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिये जाने की स्थिति पाये जाने के दृष्टिगत श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आजमगढ के विरूद्ध शासन के पत्र दिनांक 05-11-2018 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के निरस्त/समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-57/2019/680/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-आजमगढ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, सम्बद्ध मुख्यालय द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि दि0 13-11-2018 को समपन्न मा0 लोक लेखा समिति की बैठक के क्रम में उक्त स्थिति से अवगत कराते हुये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लम्बित संदर्भ को निक्षेपित/समाप्त किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in